

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी महोदय,
गोबिन्दपुर अंचल ।

विषय:- गलत ढंग से सी.एन.टी. में लिखे जाने के संबंध में ।

महाराज,

सविनय निवेदन है कि मैं बिनोद कुमार साव पिता स्व. कपिलदेव साव. सा. बेकारबांध, धाना धनबाद, जिला धनबाद का रहनेवाला हूँ । मेरा मौजा भेलाटांड मौजा नं. 89 खता नं. 68 प्लॉट नं. 1787 रकबा 7.42 डी. दलील नं. 6036 दिनांक 18.10.16 में आवेदन सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आवेदन किया था जिसमें उक्त जमीन सी.एन.टी.एक्ट धारा 48 § 1 § 2 में मेरे द्वारा नहीं का प्रयोग किया जाना था लेकिन गलती से नहीं लिया जा सका । जब कि उक्त जमीन सी.एन.टी.के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त जमीन से संबंधित सुधार करते हुए मेरा सर्टिफाइड कॉपी में सी.एन.टी. नहीं दर्ज कर निर्गत करने की कृपा की जाय ताकि आवश्यक कार्य सम्पन्न हो स।

सदिनांक-

संलग्नक- कागजात की छायाप्रति.
डीड की छायाप्रति.

आपका विश्वासी,

Vinod Kumar Sahu
23/12/17

§ बिनोद कुमार साव §

पिता स्व. कपिलदेव साव,
स्व. बेकारबांध, धाना धनबाद,
जिला धनबाद।

भारत अधिकाारी का कार्यालय गाँव, पुर (धनबाद)

दाखिल खारीज मु० संख्या 11/11/17 (11) 2016-17
आदेश फलक

आवेदन की तिथि 18.10.17
आदेश की तिथि 18.10.17
निर्गत की तिथि 19.10.17

पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर

आवेदक / आवेदिका श्री/श्रीमती बिनाय कुमार साव
पिता / माता स्व० कृपल देव साव साकिय वेतारवाघ थाना धनबाद
जिला धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने
मौजा गोलास मौजा नं० 89 खाना नं० 68 प्लॉट नं० 1737
रकबा 74230 दलील सं० 6036 दिनांक 18.10.16 के द्वारा
श्री/श्रीमती सुवेदार सिंह से प्राप्त किया है।

अभियुक्ति

जाँच हेतु पाया
मूल आवेदन प्रा
दिया।

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दे तथा इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 22.3.17 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति
दाखिल नहीं किया गया है। संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित
किया गया है, जिसके अनुसार :-

1. भूमि रैयती खाते की है।
2. पंजी II में सुवेदार सिंह की जमाबंदी सं० 2063 में विक्रेता/
पूर्वक के नाम से कायम होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत होती है
3. विक्रेता जमाबंदी रैयत स्वयं/वारिदान हैं तथा अपना मौज अंश की भूमि को बिक्री किया है।
4. आवेदक संबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार है।
5. निबंधन धनबाद निबंधन कार्यालय से किया गया है।
6. प्रश्नगत भूमि गैर आबाद आम/खास/आदिवासी/मूदान/का भूमि तथा बीसी.सी.एल. अर्जित भूमि
से बाहर है तथा सी०एन०टी० की धारा-46(1),(2) से संबंधित भूहीन

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित
भूमि का दाखिल खारीज आवेदन को रहित किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र ज्ञापक
के माध्यम से निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

श्रे द्वारा छावापति कराया 11/11/17

लेपिक

पच्ची भाभप्रमाणित प्रातन्याप

Sanjay Kumar
प्राप्त सहायक
गोविन्दपुर अंचल

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

शुद्धि पत्र पाया



अमानक संख्या ५-४०
रकारडी में लिखित इस्टेटों के अधिधारियों (धयती) के नामान्तर (दाखिल जारीत) दिखानेवाले शुद्धिपत्र

जिला : धनबाद अनुमण्डल : धनबाद सर्किल अंचल : गोविन्दपुर हल्का (111) इस्टेट का नाम : झारखण्ड

क्रम संख्या	पत्री २७ में नामान्तरण का संख्या	गांव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण से सम्बन्ध अधिप्राप्ति का संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाले प्राधिकार और आवेश का सारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री दाय विनिमय उत्तराधिकारी या बँटवारा हुआ है	नामान्तरण से प्रभावित विनिमय का पुरा व्यौरा
१	२	३	४	५	६	७	८
	बं० खं० मु० संख्या 4457-(111) 16-17	अबवा	गोविन्दपुर - 89	खाता - 68 ब्योट - 1733 रकबा - 04 कठ्ठा 8 दंड लगात - 7.42 515 जं सं० - 2063	अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर	निबन्धित दलील सं० - 6036 दिनांक :- 18.10.16 मूल्य - 16,30,000/-	पुराना रयत - सुवेया मन्दीप पिता - ईजनाथ मिह नया रयत - श्री विनोद कुमार साव पिता - लाल कपील देव साव लाल - देवका साव

श्रीपत्रक संख्या
 कर्मचारी हल्का सं० (111)
 ता० के



१ है ।

अंचल अधिधिकारी
 गोविन्दपुर

के द्वारा छायाप्रति कराया गया
 श्री विनोद कुमार साव
 प्रभु सहायक
 गोविन्दपुर अंचल

राजस्थान में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (स्थानों) के नामान्तर (दाखिल खारीज) दिखानेवाले शुद्धिपत्र

जिला : धनबाद

अनुमण्डल : धनबाद सर्किल

अंचल : गोविन्दपुर

हल्का (NW)

इस्टेट का नाम : शारखण्ड

क्रम संख्या	पंजी २७ में नामान्तरण का संख्या	गांव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण से सम्बन्ध अभिप्राति का संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाले प्राधिकार और आदेश का तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री दाय विनिमय उत्तराधिकारी या बँटवारा हुआ है	नामान्तरण से प्रभावित विनिमय का पुग ब्यौरा	अभियुक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	दा० खा० मु० संख्या 4457 (NW) 1612	अमानक	89	खाता - 18 खोटे - 1739 रकबा - 10.02.56 लगान - 3.00 ज० सं० - 2013	अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर	निबन्धित दलील सं० - 6036 दिनांक :- 15.10.16 मूल्य - 11,30,000/-	पुराना रैयत नया रैयत	5.5.3253 5 24
							अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

ज्ञापक संख्या कर्मचारी हल्का सं०

ता०

को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।